कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/संस्था/सी–ओए/डीपीसी/2017–18 दिनांक–16.03.2017

समस्त उप निदेशक(माध्यमिक)
शिक्षा विभाग

विषयः– प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की वर्ष 2017–18 डीपीसी हेतु सूचना उपलब्ध करवाने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों की वर्ष 2017–18 की डीपीसी हेतु अस्थायी पात्रता सूची आपके कार्यालय की ई–मेल आई.डी. पर अपलोड कर दी गई है। इस सम्बंध में लेख है कि अपलोड की गई पात्रता सूची में अंकित आप अपने मण्डल से संबंधित कार्मिकों से संबंधित निम्नांकित बिन्दुओं की सूचना दिनांक –25 मार्च, 2017 तक अनिवार्यतः अपने कार्यालय के कार्य से संबंधित लिपिक के साथ हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ भिजवाने की व्यवस्था करावें:–

1. पात्रता सूची में आपके मण्डल की वरिष्ठता से संबंधित सम्मिलित सभी कार्मिकों की निम्नांकित प्रपत्र में सूचना तैयार कर दी जावे:–

पात्रता सूची की क्रसं	वरिष्ठता क्रमाक		वरिष्ठता अवधि	नाम कार्मिक	जन्मतिथि	वर्ग	यदि महिला कार्मिक है तो लिंग F लिखें
1	2	3	4	5	6	7	8

वर्तमान कार्यरत स्थान	यदि कार्मिक वर्तमान में उच्च पद पर कार्यरत है तो उच्च पद का पदनाम	उच्च पद प्राप्ति का प्रकार यथा–डीपीसी, सीधी भर्ती, अस्थाई पदोन्नति अथवा पाते वेतन	यदि किसी कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन चल रही है अथवा निर्णित हो चुकी है तो निम्न सूचना दें			
			सीसीए नियम 16 व 17 जिसके अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है/रही है	ज्ञापन दिनांक	विचाराधीन कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	दिये गये दण्डादेश की दिनांक एवं दिये गये दण्ड का विवरण अथवा नवीनतम स्थिति
9	10	11	12	13	14	15

दिनांक 31.05.2002 को कार्मिक के संतानों की कुल संख्या	दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या	कुल संतानों की संख्या	अन्य कोई विवरण जो देना चाहें
16	17	18	19

2. अपलोड की गई पात्रता में सभी कार्मिकों का वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल का नाम दर्ज है, अतः वरिष्ठता सूची में अंकित जिला / मण्डल से संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक) का यह दायित्व है कि वे अपने मण्डल से संबंधित सभी कार्मिकों की उक्त निर्धारित प्रपत्र की पूर्ण एवं सही सूचना आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये। किसी भी कार्मिक के सम्बंध में यह प्रत्युत्तर नहीं दिया जावे कि वह कार्मिक उनके मण्डल के अधीन कार्यरत नहीं है। यदि कोई कार्मिक जिस अवधि की वरिष्ठता सूची में उसका नाम दर्ज है एवं उस अवधि के बाद वह किसी अन्य मण्डल में स्वेच्छा से स्थानान्तरण करवाकर चला गया है, तो ऐसे कार्मिक का नाम संबंधित अवधि की मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची से नाम विलोपित करते हुए जारी विलोपन आदेश की प्रति सूचना के साथ आवश्यक रूप से भिजवायेंगे।
3. यदि पात्रता सूची में अंकित कोई कार्मिक डीपीसी से चयनोपरान्त अथवा राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनोपरान्त किसी उच्च पद प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) अथवा प्र0अ0 (मा.वि.) के पद पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 10 व 11 की पूर्ण पूर्ति करते हुए दी जावे। यदि कोई कार्मिक वर्तमान में अस्थाई पदोन्नति (रिव्यू एवं रिवीजन) के आधार पर अथवा पाते वेतन में पदस्थापन के आधार पर किसी उच्च पद प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) अथवा प्र0अ0 (मा.वि.) के पद पर कार्य कर रहा है तो उससे संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 10 व 11 की पूर्ण पूर्ति करते हुए दी जावे।
4. पात्रता सूची में अंकित किसी कार्मिक द्वारा यदि स्वैच्छिक सेवानिवृति ले ली गई हो अथवा उसकी मृत्यु हो चुकी हो तो उसका विवरण निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।
5. पात्रता सूची में अंकित किसी कार्मिक यदि अन्य विभाग में चला गया हो तो उसका विवरण भी निर्धारित प्रपत्र में कॉलम संख्या 19 में आवश्यक रूप से अंकित किया जावे।
6. पात्रता सूची में अंकित कार्मिकों की जन्मतिथि, वर्ग एवं लिंग आदि का सत्यापन आप अपने स्तर पर अवश्य कर लें।
7. पूर्व में आप द्वारा गत वर्ष 2016–17 की डीपीसी के समय उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिन कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन बतलाई गई थी एवं दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् संतानोत्पत्ति के फलस्वरूप 02 से अधिक संतानों की संख्या बतलाई गई थी, उसका विवरण कार्मिक के नाम के सम्मुख पात्रता सूची में अंकित कर दिया गया है, उसमें यदि कोई परिवर्तन हो गया हो तो उसकी जानकारी भी आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाई जावे।

उक्त वांछित सूचना को पूर्ण महत्वता प्रदान करते हुए गंभीरता के साथ लें तथा निर्धारित प्रपत्रों के सभी कॉलमों की आवश्यकतानुसार पूर्ण पूर्ति आवश्यक रूप से की जावे। उक्त सूचना निर्धारित समयावधि में अनिवार्यतः भिजवाने सम्बधी कार्यवाही आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से पूर्ण रूचि लेकर सम्पन्न करावें। यदि निर्धारित अवधि में आप द्वारा सूचना कार्य से संबंधित लिपिक के साथ इस कार्यालय को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में नहीं भिजवाई गई तो उसके लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे तथा आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(बी. एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर

कार्यालय उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर

क्रमांक : उनिशि / मा / अज / संस्था–5 / फा–45 / 17 / 654 दिनांक : 17.03.2017

मूल ही उप निदेशक (प्रारम्भिक) शिक्षा अजमेर मण्डल अजमेर एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम / द्वितीय / प्रारम्भिक अजमेर / भीलवाडा / नागौर / टोंक को देकर उपरोक्तानुसार चाही गई सूचना सभी कालम की पूर्तिकर इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवावें । इस कार्य में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करें।

प्रतिलिपि कार्यालय हाजा संस्था 4 एवं सामान्य 1 को आवश्यक कार्यवाही हेतु

उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
अजमेर मण्डल अजमेर